मुण्डा...

दिनांक 13/9/19 व 14/9/19 को राजनीतिक कार्यक्रम होने पर
पत्रावली दि0 13/9/19 में पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी
हाजिर आये बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को
खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर पत्रावली शामिल किया गया पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से [illegible] की पत्रावली [illegible]
नम्बर के शामिल की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
114/2025	17.06.2025	15.09.2025

बउनवान

1. मनोज कुमार पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र धनीराम जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री नीरज यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री रणवीर सिंह यादव –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के वाद में मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख०न0 571 आबादी क्षेत्र के साथ आम रास्ता पर स्थित है, जिस आराजी में मिन प्रार्थी का 1/3 भाग, व अप्रार्थी स० 1 का 1/3 भाग व तर० अप्रार्थी स० 4 का 1/3 दर्ज राजस्व रिर्कोड है तथा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 व 2 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है, लेकिन मौका पर मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स01 व तर०प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

ने आराजी का अर्सा दराज बहामी बंटवारा रास्ता के साथ लम्बाई में कर रखा है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त है तथा आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नहीं है।.

4. यह है कि विवादित आराजी राजस्व रिकॉड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 व तर० प्रतिवादी के नाम सामलात में दर्ज हो रही है, लेकिन मौका पर मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 व तर० प्रतिवादी ने अर्सा दराज से बहामी बंटवारा रास्ता के साथ लम्बाई में कर रखा है तथा मिन प्रार्थी व तर० प्रतिवादी बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थीगण स० 1 सामलाती अंकन का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी पर रास्ता के साथ लगते हुये भाग पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा आराजी को बिना तकासमा कराये ही बेचान करना चाहता है तथा मिन प्रार्थी को आराजी का पीछे का भाग देना चाहता है, इसलिए मिन प्रार्थी का अब अप्रार्थीगण के साथ सामलाती राजस्व रिर्कोड में रहना सम्भव नही रहा है। इसलिए मिन प्रार्थी व तर० प्रतिवादी अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिर्कोड का तकासमा रास्ता के साथ लगती हुयी आराजी का लम्बाई के हिसाब से कूर्रेजात रिर्पोट मंगवाकर, बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने व अपना अलग से खाता लगान कायम कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है।

5. यह है कि दिनांक 10/6/2025 को अप्रार्थीगण स० 1 मिन प्रार्थी व तर० प्रतिवादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर मिन प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण स० 1 आमादा लडाई झगडा हो गया तथा ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि मैं तुम्हारे हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, तुझे आराजी से बेदखल कर दूगा तथा रास्ता के साथ लगती हुयी आराजी को बिना तकासमा कराये ही बेचान कर दूंगा। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।.

6. यह कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 व तर० प्रतिवादी के नाम राजस्व रिर्कोड में सामलात में दर्ज हो रही है तथा मौका पर मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 व तर० प्रतिवादी बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थी स० 1 सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर, मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर कब्जा कर, अपने हिस्से की आराजी को बिना तकासमा कराये बेचान करने पर आमादा हो रहे है, तथा आराजी मिन प्रार्थी की खातेदारी की होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन प्रार्थी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई अप्रार्थी स01 सामलाती अंकन का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी में मिन प्रार्थी व तर० प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर दिया तथा मिन प्रार्थी को काश्त नही करने दिया तथा अपने हिस्से की आराजी को बिना तकासमा कराये ही बेचान कर दिया तो मिन प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।.

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता:फेसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण सं० 1 आराजी हाल ख0न0 571 रकबा 0.20 हैक०, वाके ग्राम सानोली तह० मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा, राज० को बिना तकासमा कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन प्राथी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करे, ना ही मिन प्राथी को आराजी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, ना ही आराजी पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करे व किसी भी प्रकार से प्रार्थी के काश्त में मजाहमत पैदा नही करे, रिकॉड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स० 1 की ओर से निम्न पेश है।

1. यह है कि पैरा सं० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद मय प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 गलत है, स्वीकार ही है। प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झुठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है। काबिल खारीज है।
3. यह है कि पैरा स० 3 इतना सही है कि आराजी ग्राम सानोली तह० मुण्डावर में ग्राम देह के समीप है और हिस्से मुताबिक जमाबन्दी है। शेष पैरा गलत है आराजी मुतनाजा अप्रार्थी स० 2 के नाम खातेदारी में दर्ज नही है। आराजी का बहामी बटवारा हो रहा है इतना कथन सही है लेकिन आराजी का बहामी बटवारा प्रार्थी के बताये अनुसार नही हो रहा है वादी के मन में बदयान्ती आ रही है जो अब बहामी बटवारे से मुकरना चहता है इसलिए मौका एवं कब्जा के खिलाफ बहामी बटवारा होने का वाद में कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

4. यह है कि पैरा स० 4 गलत है अस्वीकार है वादी ने वाद में मौके के खिलाफ अभिवचन दर्ज करते हुये बनावटी बयान बाजी करते हुये बहामी बटवारे से मुकरते हुये पुनः विभाजन कराने का प्रयास किया है आराजी का बहामी बटवारा अर्सा दराज पूर्व पूवर्जी ने किया था. बहामी बटवारे के अनुसार ही तत्कालीन समय से मौके पर काबिज होकर बदस्तूर काश्त कार्य एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आराजी मुतनाजा का बहामी बटवारे के अनुसार पक्षकारान उपयोग उपभोग कर रहे है प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी ने अपने हिस्से मे चारदिवारी कर रखी है प्रतिवादी स० 1 को रास्ते के सहारे हिस्सा मिला था प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी को पीछे का हिस्सा मिला था जिसमें प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी ने चार दिवारी सालिम हिस्से पर कर रखी है वादी एवं तर० प्रतिवादी का कोई कोई भू-खण्ड खाली नहीं है। सभी सहखातेदार को अपने हिस्से का अपनी सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करने का अपनी आवश्यकतानुसार विक्रय विनिमय करने का अधिकार प्राप्त है एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को आराजी में प्राप्त अधिकारो से टी.आई. के जरिये वंचित नही करा सकता है एक काश्तकार को घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर अपने खतेदारी की आराजी या सहखातेदारी की आराजी में से अपना शेयर विक्रय कर आवश्यकता पूरी करने के स्वतन्त्रता के अधिकार के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा में प्रांर्थी के समान ही अप्रार्थी स० 1 को भी अधिकार प्राप्त है प्रार्थी अप्रार्थी स० 1 से बेहतर अधिकार आराजी मुतनाजा मे नहीं रखता है एक सहखातेदार दुसरे खातेदार को आराजी मुतनाजा में से अपने शेयर को विक्रय करने, अपने हिस्से के उपयोग-उपभोग करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। आराजी में निर्माण हो चुका है इसलिए तकासमा का वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विचाराण योग्य नही है वाद विचारण का सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है।

5. यह है पैरा स० 5 गलत है अस्वीकार है प्रार्थी के अभिवचन सरासर गलत बनावटी व असम्भव है। क्योकि प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी ने अपने हिस्से की शालिम आराजी पर चारदिवारी कर रखी है आराजी में काश्त नही हो रही है। आराजी का बहामी बटवारा अर्सा करीब 40-41 साल पूर्व हो गया था अप्रार्थी स० 1 के हिस्से रास्ते से लगती हुई आराजी आई थी. अप्रार्थी स० 1 के भाई के हिस्से पीछे का हिस्सा आया था बहामी बटवारे के बाद अप्रार्थी स० 1 के भाई ने अपना हिस्सा प्रार्थी व तर० प्रतिवादी को कई साल पूर्व जरिये रजि० बयनामा के बेचान कर दिया था और विक्रेता ने अपने कब्जो वाले भू-खण्ड पर केता प्रार्थी व तर० प्रतिवादी को कब्जा दे दिया था प्रार्थी व तर० प्रतिवादी स्वयं का हिस्सा भी था जो भी विक्रेता अमीलाल से लगता हुआ पीछे का हिस्सा था खरीद के बाद प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी ने अपने दोनो हिस्से पर चारदिवारी करली थी एवं काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

का हिस्सा खाली है अभी निर्माण नही हुआ है अप्रार्थी स० 1 के हिस्से में ईंधन कूडी डालते रहे है। आराजी मुतनाजा का बहामी बटवारा अर्सा दराज करीब 40–41 साल पूर्व हो गया था, तब से पृथक–पृथक काबिज है इसलिए केवल राजस्व रिकोर्ड में शामलाती का अंकन होने से शामलाती आराजी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है पूर्व से विभाजन होने से अब कोई वाद कारण पैदा होने का प्रश्न नही उठता है दावा वादी वाद कारण के अभाव में काबिल खारिज है।

6. यह है कि पैरा स० 6 गलत है अस्वीकार है आराजी में काश्त कार्य नही हो रहा है इसलिए वादी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी काबिज काश्त है आराजी में प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी चारदिवारी कर रखी है अप्रार्थी स० 1 ईंधन् कूडी डालकर उपयोग उपभोग कर रहा है पक्षकारान पृथक–पृथक काबिज है एवं पृथक–पृथक उपयोग उपभोग कर रहे है आराजी मुतनाजा में अप्रार्थी स० 1. प्रार्थी के समान अधिकार प्राप्त है प्रार्थी एवं तर० प्रतिवादी स्वयं ने भी 1ध3 हिस्सा आराजी मुतनाजा में से अप्रार्थी स० 1 के भाई से बिना तकासमा के खरीद किया है। अब प्रतिवादी स० 1 द्वारा यदि आराजी को विक्रय किया जाता है तो अप्रार्थी स० 1 का कृत्य अवैध या प्रति बंधीत किया जाना सम्भव नही है। अप्रार्थी स0 1 ने ना तो वादी के हिस्से पर अतिक्रमण किया है ना ही कब्जा करने का प्रयास किया है ना ही दिनांक 10ध6ध2025 को किसी प्रकार की घटना घटित हुई थी, अप्रार्थी स० 1 द्वारा अपने शेयर को विकय विनियम हिब्बा करने से या अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने से प्रार्थी के अधिकारो व प्रार्थी के शेयर पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है इसलिए अप्रार्थी स० 1 के हिस्से के बाबत कोई भी विधिक कार्य करने से प्रार्थी की सुविधा में कोई बॉधा पैदा नही होती है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी स० 1 को हु०ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है।

7. अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि आराजी में निर्माण हो रहा है इसलिए विचारण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है एवं आराजी का बहामी बटवारा अर्सा करीब 40–41 साल पूर्व हो गया था अब पुनः विभाजन नही किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस

मेरा मुवक्किल मनोज कुमार पुत्र शेरसिंह, निवासी ग्राम सानोली, तहसील मुण्डावर का स्पष्ट कहना है कि :–

1. विवादित भूमि खसरा नंबर 571 सामलाती इन्द्राज में भले ही दर्ज है, किन्तु मौके पर भूमि का बहामी बंटवारा रास्ते के साथ लम्बाई में किया हुआ है और सभी सहखातेदार उसी अनुसार काबिज व काश्त में हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. अप्रार्थी संख्या 1 दौलतराम सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर मेरे मुवक्किल के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, और साथ ही रास्ते के साथ लगते हिस्से को बिना तकासमा कराये विक्रय करने पर आमादा है।
3. दिनांक 10/06/2025 को अप्रार्थी संख्या 1 ने जबरन कब्जे का प्रयास किया, झगड़ा किया और धमकी दी कि वह प्रार्थी को हिस्से से बेदखल कर देगा। यह आचरण न केवल कानून विरोधी है बल्कि यथास्थिति बिगाड़ने वाला है।
4. यह भूमि मेरे मुवक्किल की खातेदारी की है, अतः सुविधा का सन्तुलन (Balance of Convenience) व अपूरणीय क्षति (Irreparable Los) मेरे मुवक्किल के पक्ष में है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा न दी गई तो मेरे मुवक्किल को ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई रुपयों से संभव नहीं है।
5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत तकासमा कराना अधिकारसंपन्न है। अतः यह वाद राजस्व न्यायालय की परिधि में पूर्णतः विचारणीय है।

अतः निवेदन है कि न्यायालय अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे और बिना तकासमा किसी भी प्रकार का विक्रय, कब्जा परिवर्तन या निर्माण करने से रोके।

वकील अप्रार्थी की बहस

मेरे मुवक्किल दौलतराम पुत्र धनीराम की ओर से यह निवेदन है कि :–

1. विवादित भूमि में बहामी बंटवारा अर्सा 40–41 वर्ष पूर्व पूवर्जों द्वारा किया जा चुका है और उसी आधार पर सभी सहखातेदार अपने हिस्से पर अलग–अलग काबिज हैं।
2. प्रार्थी एवं तृतीय प्रतिवादी ने अपने हिस्से पर चारदिवारी बना रखी है, जबकि मेरे मुवक्किल को रास्ते से लगती हुई भूमि मिली थी। यह स्थिति दशकों से बनी हुई है, अतः अब पुनः विभाजन कराने का कोई औचित्य नहीं है।
3. प्रार्थी स्वयं भी इस भूमि का एक भाग अप्रार्थी संख्या 1 के भाई से बिना तकासमा खरीदा है। जब प्रार्थी स्वयं ऐसा कर सकता है तो मेरे मुवक्किल को अपने हिस्से का विक्रय करने से रोकना अन्यायपूर्ण व अवैध है।
4. विवादित भूमि में कोई काश्त कार्य नहीं हो रहा है, प्रार्थी का यह कहना गलत है। भूमि पर चारदिवारी है और प्रत्येक सहखातेदार अपने–अपने हिस्से का उपभोग कर रहा है।
5. कानून के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से का विक्रय, विनिमय, हिबा करने का पूरा अधिकार है। कोई सहखातेदार दूसरे को रोक नहीं सकता।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. यदि कहीं निर्माण हो रहा है तो यह मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, न कि राजस्व न्यायालय में।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद कारण के अभाव में काबिल खारिज है और इसे तुरंत खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

विचारण एवं विश्लेषण

1. रिकॉर्ड की स्थिति
राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 571 सामलाती इन्द्राज में दर्ज है, किंतु यह निर्विवाद है कि मौके पर भूमि का बहामी बंटवारा दशकों पूर्व हो चुका है और पक्षकार उसी के अनुसार काबिज हैं।
2. बहामी बंटवारा
अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्वजों के समय भूमि का बंटवारा हो चुका था और उसी आधार पर चारदिवारी व पृथक कब्जे की स्थिति बनी हुई है। इस तथ्य को प्रार्थी ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार किया है।
3. प्रार्थी की खरीदी
यह भी निर्विवाद है कि प्रार्थी ने भूमि का एक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के भाई से बिना तकासमा खरीदा है। जब स्वयं प्रार्थी बिना तकासमा क्रय कर सकता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय करने से रोकना न्यायोचित नहीं है।
4. कब्जा विवाद
प्रार्थी द्वारा दिनांक 10/06/2025 की घटना का उल्लेख किया गया, किंतु इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कब्जा परिवर्तन या जबरन कब्जे का आरोप प्रमाणित नहीं होता।
5. विधिक स्थिति
प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से का विक्रय, हिबा, विनिमय करने का अधिकार है।
यदि भूमि का बहामी बंटवारा व पृथक कब्जा पूर्व से स्थापित है तो केवल सामलाती इन्द्राज के आधार पर पुनः तकासमा कराना आवश्यक नहीं है।
यदि निर्माण का विवाद उत्पन्न होता है तो यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है।
6. वाद कारण का अभाव

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

चूँकि भूमि का बहामी बंटवारा दशकों पूर्व हो चुका है और पक्षकार पृथक–पृथक काबिज हैं, अतः इस स्थिति में पुनः तकासमा कराने अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कों काबिल–ए–खारिज है।

यह निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी (खैरथल–तिजारा)